

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र-30.1

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी 0 11 (स्वाईखाल) से बुढ़गाड़-थकलाड़-विलेख मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

दिनांक 18-6-2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत- बुढ़गाड़ (खिला)

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
		Mohansingh मिर्चमिष्टपट्टि चन्दन सिंह Chandansingh 18/05/2017 धमना परिवार जुसली परिवार कमला देवी कुवकिया परिवार नर आनन्द सिंह अरुण सिंह
1-	द्विश्म देवी	
2-	देवकी देवी	
3-	चन्द्रा वती देवी	
4-	मदुली देवी	
5-	भूपाल सिंह	
6-	कुवकिया	
7-	डिजरी देवी	
8-	नारायण देवी	

1.6

प्रपत्र-30

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी 0 11 (रवाईखाल) से बुढ़गाड़-थकलाड़-विलेख मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- थकलाड़ (विलेख)
तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में बैजनाथ-बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी 0 11 (रवाईखाल) से बुढ़गाड़-थकलाड़-विलेख मोटर मार्ग निर्माण कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (2.641) है 0 आरक्षित वन भूमि, 2.823 है 0 सिविल सोयम भूमि, 1.489 है 0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 6.953 है 0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत थकलाड़ द्वारा दिनांक 13/6/12 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम थकलाड़ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
भ.प्र. ह.0 / मन्दा
ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत थकलाड़,
पो- बधराड़ी
त्रिखंड व नगरपालिका- बागेश्वर
ह.0 /
ग्राम प्रधान

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र-30.1

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी 0
11 (रवाईखाल) से बुढ़गाड़-थकलाड़-विलेख मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

दिनांक 17/6/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत- शकलाड (विलेख)

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
		<u>राम</u> <u>जोशिलग</u> <u>भुवन राउ</u> <u>के वल्लभ</u> <u>मोक्ष राउ</u> <u>रमेश कुमार</u> <u>रायबारा</u> <u>राजेंद्र कुमार</u> <u>राम</u>

1.6

प्रपत्र-30

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी 0 11 (रवाईखाल) से बुढ़गाड़-थकलाड़-विलेख मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- फटगली,
तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में बैजनाथ-बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी 0 11 (रवाईखाल) से बुढ़गाड़-थकलाड़-विलेख मोटर मार्ग निर्माण कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (2.64) है 0 आरक्षित वन भूमि, 2.823 है 0 सिविल सोयम भूमि, 1.489 है 0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 6.952 है 0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत फटगली द्वारा दिनांक 12/6/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम फटगली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
भ.प्र. 10/00-
बागेश्वर

ग्राम पंचायत फटगली
दि. 12/06/2015
ह.0/
बागेश्वर
ग्राम प्रधान

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी 0
11 (रवाईखाल) से बुढ़गाड़-थकलाड़-विलेख मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

दिनांक 17/6/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत- कटगली

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	ठानुर सिंह	
②	दीपक सिंह	
③	सुबोध सिंह	
④	मिश्रन राम	
⑤	भोहन राम	
⑥	शंकर राम	
⑦		
⑧		
⑨		
⑩		
⑪		
⑫		
⑬		
⑭		
⑮		
⑯		
⑰		
⑱		
⑲		
⑳		
㉑		
㉒		
㉓		
㉔		
㉕		
㉖		
㉗		
㉘		
㉙		
㉚		
㉛		
㉜		
㉝		
㉞		
㉟		
㊱		
㊲		
㊳		
㊴		
㊵		
㊶		
㊷		
㊸		
㊹		
㊺		
㊻		
㊼		
㊽		
㊾		
㊿		

1.6

प्रपत्र-30.2

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी 0 11 (रवाईखाल) से बुढ़गाड़-थकलाड़-विलेख मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति-बागेश्वर

उपखण्ड बागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत बैजनाथ-बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी 0 11 (रवाईखाल) से बुढ़गाड़-थकलाड़-विलेख मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (2.64) है 0 आरक्षित वनभूमि, 2.823 है 0, सिविल सोयम वन भूमि, 1.489 है 0, वन पंचायत भूमि (अर्थात् कुल 6.953 है 0 वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील बागेश्वर की दिनांक 18/11/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर की बैठक श्री श्याम सिंह राणा, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्री श्याम सिंह राणा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	श्री बलवंत सिंह साहू	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3-	श्री चन्द्र मोहन आश्रित	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4-	श्री १८०५१४	बी०डी०सी० क्षेत्र, बमराड़ी	सदस्य

सदस्य
क्षेत्र पंचायत-बमराड़ी
वि०ख० व जनपद बागेश्वर

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि बुढ़गाड़-थकलाड़-विलेख मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 6.953 है 0 भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखंड बागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत बुढ़गाड़-थकलाड़-विलेख मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.953 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

33

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बागेश्वर
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

32

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बागेश्वर
जनपद बागेश्वर

16

1.6

प्रपत्र-30

Form-I

(for linear Project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwar

No- Memo/Bageshwar

Dated- 30/5/2018

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **6.953 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT** for construction of motor road from km 11 (Rawaikhal) of Baijnath-Berinag Motor Road to Burgad-Thaklad-Vilekh M/road in Bageshwar district falls within jurisdiction of Gram Panchayat Fatgali, Thaklad (Vilekh) & Selta (Burgad) village in Garur Tehsil.

It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **6.953 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30-3.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl- As above.

Dated 30/5/2018

Signature

30/5/18

(Ranjana)

District Collector

Seal बागेश्वर

(Full name and official seal of the District Collector)

1.6

प्रपत्र-30.2

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रस्ताव

1-	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2-	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3-	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4-	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव

आज दिनांक 30/5/2018 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेश्वर के प्रमाण पत्र दिनांक 18/4/18 30/5/2018 द्वारा जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी 11 (रवाईखाल) से बुढ़गाड़-थकलाड़-विल्लेख मोटर मार्ग निर्माण कार्य 6.00 किमी 0 मोटर मार्ग के लिए 6.953 है 0 भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेश्वर द्वारा बुढ़गाड़-थकलाड़-विल्लेख मोटर मार्ग के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेश्वर के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर बुढ़गाड़-थकलाड़-विल्लेख मोटर मार्ग के लिए 6.953 है 0 उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा बुढ़गाड़-थकलाड़-विल्लेख मोटर मार्ग के लिए 6.953 है 0 भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

सदस्य
जिला पंचायत क्षेत्र खोली
जनपद-बागेश्वर

जिला पंचायत सदस्य
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बागेश्वर

2 30/5/18
जिलाधिकारी
बागेश्वर
जिलाधिकारी
बागेश्वर

1.6

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी 0 11 (रवाईखाल) से बुढ़गाड़-थकलाड़-विल्लेख मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित बुढ़गाड़-थकलाड़-विल्लेख मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 6.953 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर तथा सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

दिनांक 30/5/2018

(रंजना)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर

नोट:- उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करवा जायेगा।